भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 1782

(जिसका उत्तर मंगलवार, 10 मई, 2016 को दिया गया)

<u>सीएसआर बाध्यताओं पर अव्ययित धनराशि को आगे बढ़ाना</u>

1782. श्री रंगासायी रामाकृष्णाः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कम्पनी अधिनियम में ऐसी कोई त्रुटि है जिसके कारण इस अधिनियम में सीएसआर बाध्यताओं पर अव्ययित धनराशि को आगे बढ़ाने का कोई उपबंध नहीं है;

(ख) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम इस हेतु अप्रयुक्त धनराशि को आगे बढ़ाने के लिए बाध्य हैं जबकि गैर-सरकारी क्षेत्र पर ऐसी कोई बाध्यता नहीं है; और

(ग) क्या कम्पनी अधिनियम में उपयुक्त संशोधन के माध्यम से इन विसंगतियों में सुधार किया जाएगा?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री (श्री अरूण जेटली)

(क) से (ग): कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने दिनांक 12 जनवरी, 2016 के अपने परिपत्र में यह स्पष्ट किया है कि कंपनी का बोर्ड यह निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है कि न्यूनतम अपेक्षित सीएसआर व्यय से बची हुई व्यय नहीं की गई कोई राशि अगले वर्ष के लिए बढ़ाई जाए (कैरी फारवर्ड) या नहीं। यह उपबंध कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों सहित सभी सीएसआर पात्र कंपनियों पर समान रूप से लागू है।

*****